(1) दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांकः 72 / 15 एवं 209 / 15

.न्यायालय:– द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म०प्र०) (समक्षः श्री पी.सी. आर्य)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांकः 72 / 15 संस्थापन दिनांक-10 / 04 / 15 <u>फाइलिंग नंबर—230303003802015</u>

- श्रीमती अनीता पुत्री कालीचरन पत्नी 1. शिवसिंह आयु 32 साल,
- सत्यम आयु 5 साल 2.
- अक्षय आयु 02 साल 3. पुत्रगण शिवसिंह नाबालिक सरपरस्त श्रीमती अनीता पत्नी शिवसिंह निवासी हरबंश की खोड बार्ड कं0-35 थाना सिटी कोतवाली भिण्ड हाल निवासी जाटव धर्मशाला गंजबाजार गोहद जिला भिण्ड ---

–पुनरीक्षणकर्तागण / आवेदकगण

वि रू द्ध

ेशिवसिंह पुत्र मोतीराम जाटव आयु 42 साल निवासी हरबंश की खोड वार्ड नं0–35 थाना सिटी कोतवाली भिण्ड हाल निवासी उपस्वास्थ केन्द्र गांगेपुरा आलमपुर परगना लहार जिला भिण्ड।

आवेदकगण / पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री ऊदल सिंह गुर्जर अधिवक्ता।

एव

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांकः 209 / 15 संस्थापन दिनांक—31 / 03 / 15 नंबर-230303011972015

शिवसिंह पुत्र मोतीराम जाटव आयु 42 साल 1. निवासी हरबंश की खोड वार्ड नं0-35 थाना सिटी कोतवाली भिण्ड हाल निवासी उपस्वास्थ केन्द्र गांगेपुरा आलमपुर परगना गोहद लहार जिला भिण्ड।

-पूनरीक्षणकर्ता / आवेदक

वि रू द्ध

- श्रीमती अनीता पुत्री कालीचरन पत्नी शिवसिंह आयु 32 साल,
- 2. सत्यम आयु 5 साल
- 3. अक्षय आयु 02 साल
 पुत्रगण शिवसिंह नाबालिक
 सरपरस्त श्रीमती अनीता पत्नी शिवसिंह
 निवासी हरबंश की खोड बार्ड कं0—35
 थाना सिटी कोतवाली
 हाल निवासी जाटव धर्मशाला गंजबाजार
 गोहद जिला भिण्ड

_____<u>अनावेदकगण / प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण</u>

आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री ऊदल सिंह अधिवक्ता। अनावेदकरण / प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता।

न्यायालय—कु0 शैलजा गुप्ता, जे.एम.एफ.सी. गोहद, द्वारा दाण्डिक प्रकरण कमांक— 71 / 13 मू०फौ में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 05 / 03 / 15 से उत्पन्न दांडिक पुनरीक्षण ।

–ः– आ दे श –ः–

(आज दिनांक 13 जनवरी 2017 को पारित किया गया)

- 1— इस आदेश द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक 72/15 एवं 209/15 का एक साथ निराकरण किया जा रहा है, क्योंकि दोनो ही पुनरीक्षण याचिका जे0एम0एफ0सी0 गोहद कुमारी शैलजा गुप्ता द्वारा विविध आपराधिक प्रकरण कंमाक 71/2013 में दिनांक 05/03/15 को पारित आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसमें दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक 72/15 के पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा भरण पोषण राशि में वृद्धि करते हुए आवेदिका/पुनरीक्षणकर्ता श्रीमती अनीता को भी भरण पोषण राशि दिलाए जाने की प्रार्थना की गई है, जबिक पुनरीक्षण क्रमांक 209/15 के पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक शिवसिंह द्वारा आलोच्य आदेश अपास्त किए जाने की प्रर्थना स्वयं समर्थ होने के आधार पर की गई है।
- 2— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है, कि श्रीमती अनीता शिवसिंह की वैध विवाहिता पत्नी है और सत्यम और अक्षय उनकी अवयस्क संतानें हैं, जो आवेदिका श्रीमती सुनीता के संरक्षण में रह रहे हैं, यह भी स्वीकृत है, कि श्रीमती अनीता आंगनवाडी केन्द्र में कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत है और अनावेदक स्वास्थ्य विभाग में एम0पी0डब्लू0 (मल्टी परपस वर्कर) के पद पर सेवारत है।

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक 72/15 का सार संक्षेप में इस प्रकार है, कि उनकी ओर से अनावेदक शिवसिंह के विरूद्ध धारा—125 दं०प्र0सं० के अंतर्गत 15,000 / —रूपए मासिक भरण पोषण भत्ता दिलाए जाने हेतु दिनांक 02 / 12 / 13 को अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसका विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने निराकरण करते हुए, आवेदक क्रमांक 01 श्रीमती अनीता के संबंध में भरण पोषण की याचिका निरस्त करते हुए, अवयस्क संतान सत्यम और अक्षक को दो-दो हजार रूपए मासिक भरण पोषण अनावेदक शिवसिंह से दिलाए जाने का आदेश किया है, किंतु वह भी अनावेदक ने अदा नहीं किया है और जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है, जबकि वह तीस हजार रूपए मासिक वेतन पाता है, और उस पर अन्य कोई दायित्व भी नहीं है, क्योंकि ग्राम हरबंश की खोड में अनावेदक के पिता के नाम से 35 बीघा कृषि भूमि है, जिससे अनावेदक के माता पिता का भरण पोषण होता है, तथा अनावेदक के तीन भाई अलग–अलग व्यवसायरत है और पुत्री का विवाह हो गया है, तथा वह आंगनबाडी में कार्यरत अवश्य है और उसे केवल चार हजार रूपए मानदेय मिलता है, वह भी शासन का बजट आने पर प्राप्त होता है नियमित रूप से प्रतिमाह नहीं मिलता है और उक्त राशि में वह अपने एवं अपने अवयस्क पूत्रों के भरण पोषण, शिक्षा आदि में असमर्थ है, किंतु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इन बिन्दुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया और विधि विधान के विपरीत आलोच्य आदेश पारित किया है, तथा उसे स्वयं के भरण पोषण एवं अपने अवयस्क संतानों के भरण पोषण शिक्षा आदि के लिए पंद्रह हजार रूपए मासिक भरण पोषण राशि आलोच्य आदेश को निरस्त करते हुए दिलाई जावे।

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक 209 / 15 का सार संक्षेप में इस प्रकार का है, कि अनावेदक शिवसिंह के द्वारा श्रीमती अनीता से दिनांक 18/11/09 को पुनर्विवाह किया था, उसके बाद सत्यम और अक्षय संतानें पैंदा हुई वर्ष 2012 में उसका स्थानांतरण हो गया था, और वर्तमान में वह आलमपुर तहसील लहार में एम0पी0डब्लू0 के कार्य पर कार्यरत है, श्रीमती अनीता उसे वर्ष 2007 से हैरान परेशान किए हुए है और घरेलू हिंसा का प्रकरण भी संचालित कर रखा है, तथा उस पर असत्य आक्षेप किया है। उसने श्रीमती अनीता को कभी भी तंग परेशान नहीं किया है और वह उसे व अपनी संतानों को अपने साथ रखकर भरण पोषण करने के लिए हमेशा से तत्पर व तैयार रहा है, किंतु श्रीमती अनीता ने असत्य व मनगढंत तथ्यों पर आधारित आवेदन पेश कर भरण पोषण का आदेश करा लिया है और अकारण अपनी जिद के कारण प्रथक रह रही है, यह भी अभिवचन किया है, कि उसके अर्थात पुनरीक्षणकर्ता के किसी भी स्त्री से कोई अवेध संबंध नहीं है, झूटा आरोप लगाया है, और अनीता अपना भरण पोषण करने में स्वयं सक्षम है, तथा वह अवयस्क संतनों को अपने पास रखकर उनकी देखरेख व शिक्षा दिक्षा करना चाहता है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश अपास्त किया जाए। वह अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का पालन कर रहा है, तथा उस पर अपनी पूर्व पत्नी की संतानों के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी है

उपरोक्त दोनों दाण्डिक पुनरीक्षण याचिकाओं के समेकित रूप से निराकरण के लिए मुख्य रूप से निम्न बिन्द् विचारणीय है।

क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 71/13 में दिनांक 05/03/15 को पारित आलोच्य आदेश साक्ष्य व विधि के प्रतिकूल होकर अपास्त किए जाने योग्य है ?

- क्या आवेदक क्रमांक 01 श्रीमती अनीता स्वयं के लिए और अपने अवयस्क संतानों के लिए अनावेदक शिवसिंह से पंद्रह हजार रूपए मासिक भरण पोषण राशि प्राप्त करने की पात्र है ?
- क्या मूल आवेदकगण श्रीमती अनीता आदि के पक्ष में चार हजार रूपए मासिक भरण पोषण का आदेश अवैध अनुचित एवं औचित्यहीन होकर पूर्णतः अपास्त किए जाने योग्य है ?

८ः– निष्कर्ष के आधार–ः–

- दोनों पुनरीक्षण याचिक एक ही आदेश से व्यथित होकर पेश की गई है, जिनमें पुनरीक्षण कमांक 72/15 के मूल आवेदकगण की ओर से और पुनरीक्षण कमांक 209/15 मूल अनावेदक की ओर से पेश की गई है, इसलिए मूल्यांकन करते समय सरलता एवं भ्रमपूर्ण स्थिति से बचने के लिए पुनरीक्षण क्रमांक 72/15 को पुनरीक्षणकर्तागण को आवेदकगण के रूप में और पुनरीक्षण क्रमांक 209 / 15 के पुनरीक्षणकर्ता शिवसिंह को अनावेदक के रूप में सम्बोधित करते हुए निराकरण किया जा रहा है।
- उपरोक्त तीनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने और सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।
- आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का मूलतः यह तर्क रहा है, कि आवेदक श्रीमती अनीता आंगनवाडी कार्यकर्ता है और उसे कोई वेतन नहीं मिलता है, बल्कि मानदेय प्राप्त होता है, वह भी नियमित रूप से नहीं मिलता है, और महंगाई के जमाने में चार हजार रूपए मानदेय से उसका एवं अवयस्क संतानों का भरण पोषण संभव नहीं है, क्योंकि दोनों संताने अवयस्क होकर विद्या अध्ययन के लिए योग्य है, जिनकी शिक्षा दिक्षा में भी धन की आवश्यकता है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक श्रीमती अनीता के संबंध में आवेदन को निरस्त करने में गंभीर विधिक त्रुटि की है, क्योंकि मात्र चार हजार रूपए मानदेय प्राप्त होने से किसी भी स्त्री का जीवन स्गमता से संचालित नहीं रह सकता है, क्योंकि खानपान के अलावा अस्वस्थ होने पर इलाज दवा आदि में धन की आवश्यकता होती है, तथा रोटी कपाडा, मकान के लिए उक्त मानदेय अपर्याप्त है, बच्चो को जो दो-दो हजार रूपए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में भरण पोषण राशि स्वीकृत की है, वह भी अपर्याप्त है, क्योंकि अवयस्क बच्चों की उम्र बढते हुए धन आवश्यकता बढती है, खानपान के अलावा शिक्षा के लिए भी धन की आवश्यकता है अस्वस्थ होने पर दवा इलाज के लिए भी राशि की जरूरत पड़ती है जो अपर्याप्त है इसलिए विद्वान अधीनस्थ द्वारा उपरोक्त वास्तविक बिन्दुओं पर ध्यान न देकर केवल आंगनवाडी कार्यकर्ता होने के आधार पर आवेदन को निरस्त करने में गंभीर विधिक भूल की है, इसलिए सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए, आवेदकगण को अनावेदक से कम से कम पंद्रह हजार रूपए मासिक भरण पोषण आवेदन प्रस्तुति दिनांक से दिलाया जावे।
- अनावेदक शिवसिंह के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में मूलतः यह आक्षेप लिया है, कि अनीता द्वारा उस पर चरित्रहीनता के असत्य व मनगढंत आक्षेप लगाया है, जो उसकी मानसिकता के पर्याय है, तथा आवेदक अनीता आंगनवाडी केन्द्र में कार्यकर्ता और उसे पांच

(5)

हजार रूपए मासिक वेतन मिलता है, तथा वह एम०ए०, बी०एड० शिक्षा प्राप्त है, तथा महिलाओं का सिलाई कढाई का प्रशीक्षण केन्द्र भी चलाती है, बच्चों को घर पर ट्यूशन पढाने का कार्य भी करती है, जिससे उसे पंद्रह हजार रूपए मासिक आय होती है और वह अकारण ही उसका परित्याग किए है, तथा उसके वृद्ध माता पिता एवं पूर्व पत्नी की सतानें भी है, जिनके लिए उसका दायित्व है और उसकी प्रथम पत्नी से उत्पन्न संतानों की शादी विवाह शिक्षा आदि में भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, उसने आवेदिका को प्रशन्न रखने के लिए भरपूर प्रयास किया था, उसके बावजूद भी आवेदिका संतुष्ट नहीं हुई और उसके माता पिता व पूर्व पत्नी के बच्चों को भोजन में जहर भी एक बार खिला दिया था और जान से मारने का प्रयास किया था, तब उनका स्वस्थ बिगडा था, और जिला अस्पताल में भर्ती भी रहे थे, आवेदिका उसकी संपूर्ण सम्पत्ति हडपना चाहती है, और असामाजिक तत्वों से भी उसके संबंध है, इसलिए उसका आवेदन निरस्त करने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विधिक भूल नहीं की है, किंतु वह अपनी संतानों को अपने पास रखकर उनका भरण पोषण और शिक्षा आदि करने के लिए तत्पर और तैयार है और उसका किसी भी स्त्री से अवैध संबंध नहीं है. इसलिए जो सत्यम और अक्षय के लिए दो—दो हजार रूपए मासिक भरण पोषण का आदेश किया गया है, वह अवैध है, इसलिए उसे निरस्त किया जाए।

- 🔨 उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के किए गए तर्कों पर चिंतन मनन किया गया अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया, आलोच्य आदेश का अध्ययन कर उस पर भी चिंतन मनन किया गया विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदिक श्रीमती अनीता के संबंध में भरण पोषण का आवेदनपत्र धारा—125(4) दं०प्र0सं० के अंतर्गत मानते हुए उसे निरस्त किया और अवयस्क दोनों संतानें सत्यम और अक्षय के लिए अनावेदक शिवसिंह के विरूद्ध दो-दो हजार रूपए मासिक भरण पोषण भत्ता प्रदान करने का आदेश पारित किया, जिससे दोनों ही पक्षकार अर्थात पति और पत्नी व्यथित होकर परस्पर एक दूसरे का खण्डन करते हुए, दाण्डिक पुनरीक्षण याचिकाएं प्रस्तुत की है, जिसमें अनीता एवं शिवसिंह दोनों ही का शासन के भिन्न विभागों में सेवारत होने का बिन्दू भी निर्विवादित है, वर्तमान में भी उनके संसर्ग से उत्पन्न दोनों संतनें सत्यम और अक्षय अवयस्क हैं, धारा–125 दं0प्र0सं0 के उपबंध मृताबिक पत्नी, संतान और माता–पिता, भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकते हैं, तथा मूल आवेदन प्रस्तुति के पूर्व से ही दोनों पक्ष प्रथक-प्रथक निवासरत हैं, अभिलेख पर उभयपक्ष की ओर से तीन–तीन साक्षियों के अभिसाक्ष्य कराए गए है, किसी भी पक्ष की ओर से कोई दस्तावेजी प्रमाण साक्ष्य के दौरान पेश नहीं किया है, इसलिए स्वीकृत तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख पर आई मौखिक साक्ष्य व सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए, दोनों पुनरीक्षण याचिकाओं का निराकरण करना होगा
- धारा—125 दं0प्र0सं0 के उपबंध के तहत भरण पोषण भत्ता उस दशा में प्रदान किया जा सकता है, जबकि आवेदक स्वयं भरण पोषण करने में समर्थन न हो, अनावेदक सक्षम हो और अनावेदक द्वारा भरण पोषण करने में उपेक्षापूर्ण आचरण प्रकट किया हो, तथा प्रथक रहने के पर्याप्त और समुचित कारण हो, तब सामाजिक आर्थिक स्तर धनोपार्जन की क्षमता आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवन यापन के स्तर को ध्यान में रखते हुए राशि संदाय की जा सकती है।
- सर्वप्रथम यदि आवेदिक श्रीमती अनीता के मामले को देखा जाए तो विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके संबंध में आवेदनपत्र दो आधारों पर निरस्त किया, पहिला उसे स्वयं भरण पोषण में समर्थ माना दूसरा प्रथक रहने का कोई यक्तियुक्त कारण नहीं माना अभिलेख पर

(6)

जो साक्षी उभय पक्ष की ओर से पेश की गई है, उसमें श्रीमती अनीता आ0सा0–01 ने अपने मुख्य परीक्षण के अभिसाक्ष्य में इस आशय की साक्ष्य दी है, कि दिनांक 18/11/09 को शिवसिंह से उसकी शादी हुई थी, उसके बाद वह वर्ष 2011 तक लगातार उसके साथ रही और वर्ष 2011 में अनावेदक ने अपना स्थानांतरण चुपचाप करा लिया और आलमपुर चला गया और तब वह आलमपुर उसके पास गई और अपने साथ रखने के लिए कहा, या कभी कभी छुट्टी लेकर उसके पास गोहद आने के लिए कहा तो आवेदक ने मना कर दिया, और पहिले जब वह यहां रहता था, तब भी हैरान परेशान करता था, जिसकी थाना गोहद में शिकायत भी की थी, किंतु कोई सुनवाई नहीं होने पर एस0पी0 भिण्ड को भी आवेदन किया था. अर्थात श्रीमती अनीता ने अपने अभिसाक्ष्य में आवेदन अनुसार भरण पोषण की कोई मांग ही नहीं की है, प्रतिपरीक्षण में आंगनवाडी कार्यकर्ता होने से चार हजार रूपए मानदेय प्राप्त होना स्वीकार किया है उसके अभिसाक्ष्य में उसे मासिक भरण पोषण के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है और वह किस प्रकार से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, इस संबंध में कोई साक्ष्य ही नहीं दी है, जबिक उसके द्वारा जो अन्य साक्षी पेश हुए है, जिसमें धर्मेन्द्र आ0सा0-02 और हाकिम सिंह आ0सा0-03 जो कि आवेदिका अनीता के सगे भाई है उन्होंने अवश्य इस आशय की साक्ष्य दी है, कि अनावेदक ने उनकी बहिन को अपने स्थानांतरण लहार करा के गोहद छोड दिया है और उसे नहीं रखता है, न ही गोहद आते है, तथा दूसरी शादी करने की बात कही है, पच्चीस हजार रूपए मासिक वेतन अनावेदक को प्राप्त होना बताते हुए, यह भी कहा है, कि अनीता गोहद में छः सौ रूपए मासिक भाडे पर मकान लेकर रहती है, और उसे जो मानदेय प्राप्त होता है, उसमें वह अपना व अपने बच्चों का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है।

अनावेदक शिवसिंह की ओर से जो साक्षी पेश किए गए है, उसमें स्वयं शिवसिंह अना०सा०-01 ने आवेदिका अनीता का आंगनबाडी कार्यकर्ता के रूप में पांच हजार रूपए मासिक मानदेय प्राप्त करना, सिलाई कढाई का काम करना, ट्यूशन भी पढाना बताते हुए, स्वयं समर्थ होना बताया है, और यह भी कहा है, कि अनीता ने पूर्व पति से तलाक के एवज में एक लाख पेंसठ हजार रूपए लिए थे, तथा उसने आवेदिका पर इस आशय का आक्षेप भी किया है, कि वह झगडालू प्रवृत्ति की है, और उसने उसके माता पिता एवं पूर्व पत्नी के बच्चों के खाने पीने की वस्तुओं में डाई मिलाकर रख दी थी, तथा पीन की बोतल में एसिड मिलकार फिज में रख दिया था, जिसके सेवन से उसके माता पिता व बच्चों की तबियत खराब हो गई थी, यह भी आक्षेप किया है, कि उसके यहां भीमसिंह पुत्र रामराज नामक व्यक्ति आता जाता था, जिसे मना करने पर अनीता ने उसे हिसया मार दिया था, और वह उसके परिवार को मारना चाहती है, तथा उसकी पूरी सम्पत्ति और पूरा वेतन मांगती है और वह अनीता को अपने साथ रखने के लिए तैयार है, जिसका समर्थन अनावेदक के पिता मोतीराम अना०सा०-02 और मा रामकली अना०सा०-03 ने अपने अभिसाक्ष्य में किया है, खाने पीने की वस्तुओं में जहर व पानी में एसिड मिलाने के संबंध में जो आक्षेप है, उसको संबंध में कोई शिकायत की गई हो ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं है, आवेदिका अनीता के आंगनवाडी कार्यकर्ता के अलावा आय के अन्य जो साधन बताए है उसके संबंध में भी कोई प्रमाण पेश नहीं है, भीमसिंह नामक व्यक्ति के संबंध में जो साक्ष्य अनावेदक ने दी है, उसके आधार पर वह आवेदिका अनीता का जरीतापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अप्रत्यक्ष आक्षेप करना दर्शित होता है, हालांकि वह स्पष्ट रूप से यह आक्षेप नहीं लेता है, इसलिए धारा–125(4) दं०प्र०सं० के अंतर्गत जरीतापूर्ण जीवन व्यतीत करने का आक्षेप तो स्थापित नहीं होता है और वह आधार पूर्णतः लिया भी नहीं गया है आवेदिका ने स्वयं अक्षम होने की साक्ष्य नहीं दी है, ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक क्रमांक ०१ श्रीमती अनीता को स्वयं के भरण पोषण के लिए समर्थ मानकर उसका आवेदनपत्र धारा–125 (4) दं०प्र०सं० के अंतर्गत मानकर कोई गंभीर विधिक

त्रुटि नहीं की है, इसलिए अनीता के संबंध में प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 72/15 स्वयं स्वीकार योग्य नहीं है, और उसके संबंध में जो निष्कर्ष विद्वान अधीनस्थ द्वारा निकाला गया है उन्हें अवैध, अनुचित या औचित्यहीन नहीं कहा जा सकता है।

जहां तक अन्य आवेदक कमांक 02 एवं 03 अवयस्क संतानें सत्यम और अक्षय का 13-प्रश्न है, जिनकी उम्र के बाबत कोई विवाद की स्थिति नहीं है, और वर्ष 2013 में मूल आवेदन दिनांक 03 / 12 / 13 को पेश किया गया था, तब सत्यम की उम्र तीन वर्ष और अक्षय की उम्र आठ माह की बताई गई थी, उससे वर्तमान में तीन वर्ष और व्यतीत हो चुके है, अर्थात वर्तमान में सत्यम करीब छः वर्ष का और अक्षक करीब पौने चार वर्ष का है जो शिक्षा अध्ययन करने योग्य है, अनीता को पांच हजार रूपए मानदेय मान भी लिया जाए तो उससे वह दोनों बच्चों का भरण पोषण शिक्षा करने में स्वयं के साथ-साथ समर्थ होना नहीं माना जा सकता हैं, जबकि अनावेदक जो कि शासकीय सेवक होकर तृतीय श्रेणी कर्मचारी है उसकी मासिक आय 25–30 हजार रूपए होना मानी जा सकती है, हालांकि वेतन स्लिप पेश नहीं है अनावेदक के माता पिता पर कोई कृषि भूमि आय का जरिए होने का भी दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, लेकिन यदि माता पिता अक्षम होते, तो वे भी धारा—125 दं0प्र0सं0 के तहत या अन्य विधिक प्रावधानों के तहत भरण पोषण की मांग करते. ऐसे में अनावेदक पर स्वयं के अलावा अन्य कोई उत्तरदायित्व किसी के भरण पोषण संबंधी होना परिलक्षित नहीं होता है। बढते बच्चों को उनके शारीरिक और मानसिक बिकास के लिए एवं शिक्षा आदि के लिए, भरण पोषण के लिए जिस धनराशि की आवश्यकता वर्तमान सामाजिक परिवेश और आर्थिक रूप से महंगाई को देखते हुए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यकता होगी उसके लिए दो-दो हजार रूपए मासिक भरण पोषण राशि निश्चित तौर पर पर्याप्त नहीं है, आवेदिका श्रीमती अनीता के पांच हजार रूपए मासिक मानदेय को भी जोड लिया जाए तो भी किराए के मकान में रहते हुए उक्त धनराशि तीन व्यक्तियों के जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा सकती है।

अनावेदक की आयअर्जन क्षमता को देखते हुए और उसे प्राप्त होने वाले मासिक वेतन को उपधारित करते हुए अवयस्क संतानों आवेदक सत्यम और अक्षय के लिए अनावेदक से 2,500-2,500 / -(दो हजार पांच सौ-दो हजार पांच सौ) रूपए मासिक भरण पोषण राशि मूल आवेदन प्रस्तुति दिनांक से दिलाई जाना उचित व आवश्यक पाया जाता है, अर्थात आवेदक सत्यम और अक्षय के संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश उचित नहीं पाया जाता है, किंतु अनावेदक शिवसिंह के द्वारा उनके संबंध में जो आलोच्य आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिक क्रमांक 209 / 15 के माध्यम से की गई है, वह स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि अनावेदक शिवसिंह ने अपने अवयस्क संतानों को अपनी संरक्षिता में लेकर उनके उचित भरण पोषण, सुरक्षा, शिक्षा दीक्षा के लिए कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की है, इसलिए उसका विरोध औपचारिक स्वरूप का ही है, फलतः दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 209 / 15 तो कतई स्वीकार योग्य न होने से उसे बाद विचार निरस्त किया जाता है, और दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका कमांक 72 / 15 आवेदिका अनीता के संबंध में निरस्त करते हुए आवेदक सत्यम और अक्षय के संबंध में आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को अपास्त करते हुए अनावेदक शिवसिंह को आदेशित किया जाता है, कि वह सत्यम और अक्षय को जनवरी 2016 से दो हजार पांच सौ (2500/-) रूपए मासिक भरण पोषण राशि उनके वयस्क होने तक अथवा अन्य आदेश होने तक भूगतान करेगा, यहां यह भी स्पष्ट किया

(8) <u>दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांकः 72 / 15 एवं 209 / 15</u>

जाता है, कि अनावेदक द्वारा आलोच्य आदेश के पालन में यदि कोई राशि भुगतान कर दी गई है, तो उसे उक्त पारित किए जा रहे आदेश में प्रदत्त राशि में समायोजित करा सकेगा, तथा अवशेष राशि वह दो माह के भीतर विधिवत भुगतान करेगा, तद्नुसार दोनों पुनरीक्षण याचिकाओं का निराकरण किया जाता हैं।

15— आदेश की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भेजा जावे।

दिनांक— **13 जनवरी 2017**

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी0सी0 आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (पी0सी0 आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड

